

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/7746-7784

दिनांक :- 16.05.12

आदेश संख्या 49 / 2012-13

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संगुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा, 2008 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशङ्गानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राज. अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रुपये 11100/- (ग्यारह हजार एक सौ रुपये) प्रति माह के स्थाई पारिश्रमिक पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि वे ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र बीकानेर पर दिनांक 21.05.2012 को प्रातः 9. 30 बजे प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। प्रशिक्षण अवधि 16 सप्ताह होगी तथा इस अवधि में उनके वेतन आदि का भुगतान संस्थान द्वारा किया जावेगा। उक्त प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है अतः प्रशिक्षार्थी को ठहरने आदि की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी।

क.स.	मेरिट क्रमांक	रोल नम्बर	नाम/पिता का नाम	श्रेणी	जन्म तिथि
1	2	3	4	5	6
1-	34	731763	राम करण मीणा/रामकिशोर मीणा ग्राम-दन्ताला गुजरान, पोस्ट- दन्ताला मीणा, बाया गढवाडी, जिला जयपुर (राज.) पिन. 303120	ST	15.07.1981
2-	35	711567	धर्मेन्द्र कुमार मीणा/ ओमप्रकाश मीणा ग्राम-झलेरी कोठी, पोस्ट-पाली, तहसील महुवा, जिला दौसा (राज.) पिन. 321608	ST	08.07.1986
3-	36	404317	गंवर लाल / भूराशम द्वारा अनिल कुमार यादव, 11/472, चोपासनी हाउसिंग बोर्ड, नन्दन वन, जोधपुर (राज.) पिन. 342008	SC	04.08.1973
4-	37	732259	पवन कुमार मीणा/फरेबी लाल मीणा ज्योति स्कूल के पास मीणा कॉलोनी, सवाईमाधोपुर (राज.) पिन. 322001	ST	17.12.1985
5-	38	730513	रामवतार मीणा/गोविन्द नारायण मीणा ग्राम पोस्ट-नायला, ढाणी कागोता, बाया कानोता, जिला जयपुर, पिन. 303012	ST	05.08.1986
6-	39	702977	पवनप्रताप राजोरिया/बनारसीदास राजोरिया, प्लॉट नं. 9, माधव नगर, करतारपुरा, जयपुर (राज.) पिन. 302006	SC, NG	19.09.1973
7-	40	704393	हनुमान सहाय मीणा/ रामशंकर मीणा ग्राम पोस्ट-टोकरी, तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर, पिन. 322202	ST	11.07.1977
8-	41	100995	यश कुमार जोरम/सीताराम जोरम जोरम भवन, कलश नमकीन भण्डार के पास, आजाद नगर, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर, पिन. 305801	SC	23.07.1983
9-	42	705425	सुनार सिंह मीणा/नेमी चन्द मीणा ग्राम पोस्ट रौरी, तहसील नादौती जिला करौली 322220	ST	01.03.1983
10-	43	103142	प्रमोद कुमार/ राधेलाल मकान नं. 834/44, कपिलवस्तु कॉलोनी गली नं. 4, घोलाभाटा, अजमेर (राज.) पिन. 305001	SC	28.06.1982
11-	44	701529	गंगाराम बलाई/रेवड मल बलाई ग्राम सारजोली, पोस्ट बूज, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर 303109	SC	05.04.1982
12-	45	708935	राज्य प्रकाश/कन्हैयालाल बैरवा मैन रोड, एस.डी.बी.जे. के पास, तहसील सपोटरा, जिला करौली, पिन. 322218	SC	01.01.1985
13-	46	404350	सुखदेव राठोड/ जयकिशन राठोड 10/78, जीनगर मौहल्ला, जैसलमेर पिन. 345001	SC	03.06.1982
14-	47	713203	भवानीशंकर बुनकर/गिरधारीलाल बुनकर गाँव, ईटावा, भोपजी, तहसील चौमू, जिला जयपुर, पिन. 303804	SC	05.03.1986

15-	48	723967	जय प्रकाश तंवर/बंशीधर तंवर ग्राम महासिंघ का बास, पोस्ट कुहाडा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर (राज.) पिन. 303102	SC	13.05.1987
16-	49	720341	रमेश चन्द मीणा/हीरालाल मीणा ग्राम कोडयाई तहसील बौली, जिला सवाईमाधोपुर 322030	ST	01.07.1970
17-	50	403880	दिनेश बावल/नेकाराम बावल रामदेव चौक, गाँव/पोस्ट-मुण्डारा, तहसील बाली, जिला पाली (राज.) पिन. 306705	SC	11.04.1975
18-	52	109731	नरेन्द्र सिंह राठोड/स्व. प्रकाश चन्द्र मकान नं. 4 एफ-7, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर, भीलवाडा, पिन. 311001	SC	01.09.1976
19-	53	404183	गोविन्द बोंस/मंगलाराम बोंस मकान नं. 12, पठान कोट, फनवर्ल्ड के सामने चौपासनी रोड, जोधपुर (राज.) पिन. 342008	SC	05.06.1981
20-	54	722605	योगमाया जलुथरिया/नाथुलाल जलुथरिया सी-21, बालनगर करतारपुरा, जयपुर, पिन. 302006	SC, WE	11.07.1984
21-	55	717259	प्रेम राज मीणा/गिराज मीणा ग्राम-किशोरपुर, पोस्ट-पावटा गद्दी, तहसील गंगपुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर, पिन. 322219	ST	01.07.1982
22-	56	706482	मुकेशकुमार चौहान/लक्ष्मीनारायण चौहान मुकाम पोस्ट-महनपुर, तहसील बानसूर जिला अलवर, पिन. 301402	SC	12.12.1982
23-	57	725483	अनिल कुमार मीणा/धरसीदयाराम मीणा ग्राम पोस्ट-सेवा, तहसील गंगपुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर, पिन. 322219	ST	04.06.1983
24-	58	730528	जगदीश प्रसाद मीणा/रूडा राम मीणा ग्राम-बिचपडी, पोस्ट नांगल लाडी, बाया जाहोता, तहसील आपेर जिला जयपुर, पिन. 303701	ST	03.07.1984
25-	59	703474	श्रीमती अल्का मीणा/भगवान सहाय मीणा, देहली दरवाजे के बाहर, खास स्कूल के पीछे, अलवर	ST	16.08.1988
26-	60	715527	विजय कुमार गोरा/नन्द लाल गौरा गोरा की ढाणी, ग्राम पोस्ट, ईटावा बाया बघाल, जिला जयपुर, पिन. 303602	SC	27.07.1977
27-	62	705220	अन्जुलता जौरवाड/भजनलाल जौरवाड प्लॉट नं. वी-13, प्रथम, बाल नगर, करतारपुरा, जयपुर पिन-302006	ST	27.06.1987
28-	63	402216	किशोर कुमार/दलाराम रांगी अम्बेडकर कॉलोनी, प्रताप बाजार, रानी स्टेशन, जिला पाली, पिन 306115	SC	30.09.1985
29-	64	101406	प्रमोद कुमार/सोहन लाल कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास, आजाद नगर, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर पिन. 305801	SC	24.11.1978
30-	66	702434	सतीश कुमार मीणा/पुखराज मीणा रेल्वे लाईन के पास, मण्डावरा रोड, शिव कॉलोनी, हिण्डोनसिटी, जिला करौली पिन. 322230	ST	15.06.1985
31-	67	720184	मकखन लाल रैगर/बिरदू राम रैगर मु.पो. जुगराजपुरा, बाया अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर 332701	SC	01.09.1978
32-	68	708833	राकेश कुमार मीणा/रामस्वरूप मीणा सी-66, जे.पी. कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर, पिन. 302015	ST	15.08.1977

उपरोक्त अभ्यर्थियों की लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों पर की जा रही है:-

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
2. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन होगी।

3. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, सी.आई.डी (सुरक्षा) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण- पत्र की शर्त पर है।
4. अभ्यर्थी को प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति देते समय दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न प्रारूपानुसार एक अनुबन्ध पत्र / बाण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा। बिना उपरोक्त शपथ-पत्र के उनकी उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
5. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रशिक्षण में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
6. इस अभ्यर्थियों को परीवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परीवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
7. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की परीवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होंगे।
8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
9. उक्त नियुक्तियाँ माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में उक्त प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित तिथि को यथासमय निश्चित रूप से उपस्थिति देकर इस विभाग को सूचित करेंगे अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/ 7746-7784
प्रतिलिपि:-

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. निदेशक, ह.च.मा.राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर
4. श्री.....

..... को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे निर्धारित तिथि को प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट संस्थान के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। संलग्न- बाण्ड प्रारूप

5. उप निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अभ्यर्थियों की उपस्थिति से पूर्व दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में एक अनुबन्ध पत्र/ बाण्ड एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति रिपोर्ट स्वीकार करें, तथा इसे निदेशालय को (चिकित्सा प्रमाण पत्र के अतिरिक्त) प्रेषित करावें।
6. विशेषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाइट पर अपलोड हेतु
7. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक
8. गोपनीय शाखा
9. रक्षित/निजी पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक-1)

निदेशक

दिनांक :- 16.05.12

**BOND TO BE EXECUTED BY GOVERNMENT SERVANT REQUIRED TO UNDERGO
TRAINING ON RS.10/- NON JUDICIAL STAMP PAPER**

This bond is made on the _____ date of 2012 by _____ Son of
Shri _____ resident of _____
appointed to the post of ACCOUNTANT (hereinafter called the trainee) of the First Part and

Son of Shri _____ resident of _____

(First Surety); and _____ Son of _____ Shri _____ resident of _____
(Second surety) hereinafter called collectively the sureties of the second part in
favor of the Governor of the State of Rajasthan (hereinafter called the Government).

Whereas the Governor has selected the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT.

And whereas in accordance with Rules it is necessary for the trainee, before assuming independent charge of the post for which he has been also selected to undergo training for a period of 16 weeks.

And whereas the Government have agreed to place the trainee under training on the terms hereinafter mentioned and on the condition that the sureties shall give security for the due performance by the trainee of the said terms.

And whereas the sureties have agreed to give security for the due performance by the trainee of the said terms in the manner hereinafter after appearing.

Now this deed witnesses as follows:-

(1) In consideration of the Government selecting the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT and arranging for his training in accordance with the Rules, and in pursuance of the said agreement, the trainee hereby covenants with the Government that during the period of such training and within a period of Two year after the completion of such training, he shall not resign the post for which he has been selected as aforesaid, nor shall he take up any employment other than post for which he has been so selected.

(2) For the consideration aforesaid in pursuance of the said agreement the trainee and the sureties agree that if, during the period of training or within a period of Two year after the completion of training, the trainee shall resign or take other employment in contravention of clause (1) above, the trainee and the sureties shall jointly and severally pay to the Government the double of the emoluments paid by the Government to the trainee during the period of his training together with other expenses incurred by the Government thereon but excluding the amounts paid to the trainee by way of traveling and daily allowances under the relevant rules;

Provided that the trainee and the Parties shall not be required so to pay the emoluments paid to the trainee during the period of his training, if the training imparted to the trainee, in the opinion of the Government, likely to provide useful in the new appointment also.

In witness whereof this bond has been signed by the trainee and the sureties the day in year above written.

Signed by the Trainee:

Witness (I)

Witness (II)

Signed by the First Surety

Witness (I)

Witness (II)

Signed by the Second Surety

Witness (I)

Witness (II)

Note:- All above persons give Full name & Address

Accepted
D.T.A.